प्रेषक,

सोमनाथ,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 11 फरवरी, 2026**

विषय:- जनपद चन्दौली में बहुउद्देश्यीय हब के निर्माण हेतु कुल क्षेत्रफल 29.8314 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-2), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-297 एल0ए0/2025, दिनांक 14.11.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद चन्दौली में बहुउद्देश्यीय हब के निर्माण हेतु कुल क्षेत्रफल 29.8314 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण हेतु धनराशि रू0 55.8975 करोड़ का पुनरीक्षित आगणन/ प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि विषयगत प्रकरण में शासनादेश संख्या-28/2023/710/23-2-23/001-70(सा0)/23, दिनांक 15.09.2023 द्वारा विषयगत कार्य हेतु कुल रू0 70,22,20,000.00 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 17,55,55,000.00 अवमुक्त की गयी एवं पुन: शासनादेश संख्या-10/2025/आई/874004/2025/23-2099(099)/73/2023,दिनांक 07.02.2025 द्वारा विषयगत कार्य हेतु पुनरीक्षित लागत रू0 68,67,59,100.00 की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 14.11.2025 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में जनपद चन्दौली में बहुउद्देश्यीय हब के निर्माण हेतु कुल क्षेत्रफल 29.8314 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण हेतु पुन: पुनरीक्षित लागत रू0 55.8975 करोड़ (रूपये पचपन करोड़ नवासी लाख पचहत्तर हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगी तथा प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(2) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जोयगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(5) विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(6) प्रायोजना में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है। अतः भूमि का क्रय विभागाध्यक्ष द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) विभागाध्यक्ष द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-16/2018/बी-2-979/दस-2018-244/2018, दिनांक 01 सितम्बर, 2018 के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) विभागाध्यक्ष द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखाशीर्षक 5054045571352 अन्तर्राज्यीय/ अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग पर प्रदेश की सीमा के अन्दर बहुउददेशीय हब का निर्माण मानक मद 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-8-920-X-2025-26, दिनांक 16.01.2026 को प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
सोमनाथ
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव:-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- संबंधित मण्डलायुक्त।
4- संबंधित जिलाधिकारी।
5- मुख्य अभियन्ता (मु0-1/2), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता, वाराणसी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी।
7- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चन्दौली।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- वेब अधिकारी प्रमुख अभियन्ता कार्यालय लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8 उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से
रिपुंजय गुप्ता
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in